




भारत का राजपुत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

शाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 481] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 1986/आश्विन 23, 1908
No. 481] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 15, 1986/ASVINA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग एकत्रण के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1986

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 1149 (अ).—भारत सरकार के राजपुत्र (असाधारण)
भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) तारीख 13 जून, 1986 के पृष्ठ 1-5 पर
प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अधिसूचना
संख्या सा. का. नि. 852 (ब) दिनांक 13 जून, 1986 के—

- (1) पृष्ठ 1 पर, नियम 1 के उल्लिखित (1) में "तीरा" के स्थान पर "तीथा" पढ़ें ;
- (2) पृष्ठ 2 पर नियम 3 में (1) उल्लिखित (क) में 'पन्द्रहवीं पंक्ति में "वितेय" के स्थान पर "विलेय" पढ़ें,

- (2) उपनियम (ख) की दूसरी और तीसरी पंक्ति में “केलियम” और “एक” के स्थान पर “कैल्शियम” और “एल” पढ़ें।

[संख्या पी. 15014/7/84-पी. एच. (एफ. एंड. एन.)]

एस. वी. सुब्रामणियम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 15th October, 1986

CORRIGENDUM

G.S.R. 1149(E).—In the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) G.S.R. 852(E), dated the 13th June, 1986, published at pages 1—5 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), dated the 13th June, 1986;

(1) at page 3,—

(i) in the preamble, in 9th and 17th line for “Gazettee” read “Gazette”.

(ii) in sub-rule (1) of rule 1 read “Fourth” for “Third”.

(2) at page 4, in rule 3,—

(i) in the sixth line of sub-rule(a), for “purte” read “puree”.

(ii) in the seventh line of sub-rule(b), read “90 ppm” for “9 ppm”

[No. P.15014/7/84-PH(F&N)PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.